प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 दिसम्बर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्थान में न्यू ओ0पी0डी0 भवन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-75/503/2015, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2- एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में न्यू ओ0पी0डी0 भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-715/71-2-11-पी-54/2010 दिनांक 28 फरवरी, 2011 द्वारा रू0 7983.49 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 1596.70 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा योजना हेतु अबतक शासनादेश संख्या-3098/71-2-2012-पी0-54/2010, दिनांक 10-09-2012 द्वारा रू0 10.00 करोड, शासनादेश संख्या-3098/71-2-2012-पी0-54/2010, दिनांक 30.11.2012 द्वारा रू0 5.00 करोड, शासनादेश संख्या-1052/71-2-2013-पी0-54/2010, दिनांक 28.03.2013 द्वारा रू0 4.1890 करोड, शासनादेश संख्या-3834/71-2-2013-पी0-54/2010, दिनांक 15.10.2013 द्वारा रू0 20.00 करोड, शासनादेश संख्या-498/71-2-2013-पी0-54/2010, दिनांक 28.10.2013 द्वारा रू0 193.14 करोड तथा शासनादेश संख्या-71/15/2635/71-2-2015-पी0-54/2010, दिनांक 12.08.2015 द्वारा रू0 10.00 करोड अर्थात कुल रू0 6708.74 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्थान में न्यू ओ0पी0डी0 भवन के निर्माण हेतु रू0 7,00,00,000/- (रूपया सात करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) संस्थान/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्य/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
4) संस्थान/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का आहरण एवं व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश में उल्लिखित वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रायोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-103/2015/3863/(1)/71-2-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।